facilities to undertake those activities. As per the Allocation of Business Rules, the DOD is to handle "any other activity npt specifically allocated to any other Ministry or Department". Ocean related activities are by and large multi-disciplinary and multi-institution in nature and therefore, the Department has been utilising the facilities already set up for various ocean related activities by various De-partnientyMinistries.

Transfer of National Institute of Oceanography

3297. SHRl VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Institute of Oceanography is still under the CSIR;

(b) whether the Department of Ocean Development require this institute; and

(c) if so, the steps taken to transfer the National Institute of Oceanography to the Department of Ocean Development for research activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE REVENUE (BANKING, AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. A proposal for transfer of National Institute of Oceanography to the Department of Ocean Development has been made. Decision is yet to be taken.

ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पादन

3298. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ज्वारीत तरंगों से विद्युत पैदा की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के लम्बे समुद्र तट को ध्यान में रखते हुए सरकार ज्वारीत तरंगों से विद्युत उत्पन्न करने की तकनीक विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) महासागर विकास विभाग के अनतर्गत राष्ट्रीय समुद्र का विदोहन करने वाली विकास परियोजनाओं में संलग्न है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में तरंग ऊर्जा समूह तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई दोलायमान जल स्तंभ सहिस तरंगों से प्रौद्योगिकी विकास और कूप टरबाइन सहित विद्युत मापाक पर कार्य कर रहा है। केरल में त्रिवेन्द्रम के समीप विझीजम में 1991 में 23.2 मी.x17 मी. X 15.3 मी. परिमाप सहित एक दोलायमान जल स्तंभ, केसन की स्थापना की गई थी जिसके विद्युत मापक की क्षमता 10 किलोवाट है, और इस प्रणाली के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। तदन्तर दोहरे टरबाइन वाले 5 किलोवाट क्षमता के एक विद्युत मापक और एक केन्द्रीय जनित्र का विकास किया गया और इस प्रणाली के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन 1996 में किया गया। बाद में 1997 में उक्त विद्युत मापाक को इष्टतमीकृत किया गया और स्वप्रक्षेपित निर्देशक फलक युक्त अभिप्रेरण टरबाइन जो संपर्कों से जुड़ा होता है, का अभिकल्पन, संचालन और मूल्यांकन किया गया। इससे 80 किलोवाट तक विद्युत उत्पादन की वृद्धि हुई। संतरण पश्चनत नलिकायुक्त प्लव यत्र सहित तरंग विद्युत मापाक के अभिकल्पन का कार्य आरंभ किया जाता है। इन प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विद्युत के सुदूर स्त्रोत के रुप में एक आदर्श तरंग विद्युत मार्ग निर्देशी प्लव यंत्र विकसित किए जाने की योजना है।

ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना तलाशने के उद्देश्य से, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एम. एन. ई. एस.) ने पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन में दुर्मादुनेई सकरी खाड़ी में लधु ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन किए। आवश्यक क्षेत्र अध्ययनों एवं कम्प्यूटर प्रतिरुपण अभ्यासों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 3 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से इस स्थान पर प्रति वर्ष 5.5 मिलियन किलोवाट हर्टज ऊर्जा का उत्पादन संभव होगा। अपरंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सहयोग से पश्चिम

बंगाल में ऊर्जा के पुनः प्राप्त स्रोतों हेतु, राज्य सरकार की नोड एजेन्सी के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दुर्गादुनेई ज्वारीय ऊर्जा परियोजना से प्राप्त अनुभव देश में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के आगे और विकास में सहायक होगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

3299. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1998के "राष्ट्रीय सहारा" में "रिश्वत मामले में अपने अफसर को छोड़ दिया सी.बी.आई. ने" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों मेम भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके परिणामस्वरुप सूचना मिलने पर भी वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में एक जांच करने के बाद संबंधित कार्मिकों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है अथवा कार्रवाई करेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा मंत्रालय में राज्य मंत्री) श्री आर.जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। समाचार की विषय वस्तु, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के मामला संख्या आर.सी.23(ए)/95डी.एल.आई. से संबंधित है। इस मामले में अभियुक्त से शिकायत प्राप्त होने पर व्यापक जांच-पड़ताल की गई। जांच करने पर, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के किसी भी कार्मिक के इस मामले में संलिप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

(**क**) जी, नहीं। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के कार्मिकों से संबंधित प्रत्येक शिकायत की व्यापक जांच-पड़ताल की गई है और कठोर कार्रवाई की गई है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के कार्मिकों के विरुद्ध ऐसे अपराधों से संबंधित कार्रवाई के परिणाम स्वरुप 2 कार्मिक बरखास्त कर दिए गए हैं, दो अन्य की वेतन वृद्धि रोक दी गई है और एक कार्मिक का ओहदा घटा दिया गया है।

(**ख**) उपर्युक्त (ग) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

Pension-Related matters on the internet

3300. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Department of Pensions and Pensioners' Welfare are planning to update their information system by putting all pension-related matters on the Internet;

(b) if so, the details of the speeifie informatioivfacilitics that would be made available on the Internet; and

(c) the present status of the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (c) There is a proposal, presently in the development phase, to provide through Internet relevant information on pension-related matters sueh as guidelines and orders relating to sanction of pension to civilian employees.

नौकरशीही की जिम्मेदारी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3301. **श्री अनन्तराय देवशंकर दूवे**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने की गई कार्रवाई अथवा लिए गए निर्णय के परिणाम को जानने हेतु "न्यायिक समीक्षा" में सक्षम न्यायालय के प्रति नौकरशाही की जिम्मेदारी से संबंधित एक मामले को निपटाते हुए 13 फरवरी, 1997 को यह निर्णय दिया कि इस कार्रवाई के लिए अंततोगत्वा विभागाध्यक्ष/नामनिर्दिष्ट अधिकारी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?